प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न खनिज पदार्थों एवं उनके उपलब्धी के स्थानों का विवरण प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) क्या खनिजों की विपुल मात्रा की खोज करने के लिए एक 'माइन्स रिसर्च काउंसिल आर्गानाईजशन' गठित करने का विचार है ;

(ग) क्या ये कार्य किसी विदेशी देश के सहयोग से किया जाएगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ;

(घ) यदि भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ.) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्य स्वयं करने की जिज्ञासा और उत्साह व्यक्त किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (ङ.) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी उत्पादक द्वारा मिनी ट्रैक्टरों के उत्पादन का प्रस्ताव

5612. श्री धनशाह प्रधान : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति ने सस्ते तथा टिकाऊ मिनी ट्रैक्टरों के उत्पादन का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या इस संबंध में एक विदेशी ट्रैक्टर निर्माता ने एक आवेदन पत्र दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

5613. श्री धनशाह प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रोजगार केन्द्रों में अनुसूचित जनजातियों के कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाया गया और कुल दिलाए गए रोजगारों के अनुपात में इसकी प्रतिशतता क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) 30-6-1973 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित **अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की संख्या 42,173* थी ।

(ख) पहली जुलाई, 1972 से 30 जून 1973 की अवधि के दौरान नौकरी चाहने वाले 3775* शिक्षित** अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रोजगार दिलाया गया । इस अवधि के दौरान नौकरी चाहने वाले सभी वर्गों के शिक्षित उम्मीदवारों को दिए गए रोजगारों की कुल संख्या के मुकाबले में इनकी प्रतिशतता 1.8 थी ।

नोट : 1. *दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों (दिल्ली और जामिया मिलिया विश्वविद्यालयों) को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

2. **मैट्रिक पास और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त ।

3. चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी उम्मीदवार अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं ।

4. नौकरी चाहने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित शिक्षित उम्मीदवारों के पंजीकरण और नियुक्तियों के संबंध में आंकड़े रोजगार कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर, को समाप्त होने वाले अर्धवर्षीय अन्तरालों पर एकत्र किए जा रहे हैं।

U. N. Plenipotentiary Conference on the Law of the Sea

5614. SHRI JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have participated in U.N. Plenipotentiary Conference of Law of the Sea held this year and have placed India's viewpoint on the outer limits of territorial sea and the establishment of an exclusive economic zone; and

(b) if so, the main features thereof and the reaction of the U.N. Body thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) India participated in the first session of the United Nations Plenipotentiary Conference on the Law of the Sea held in New York from December 13-14, 1973. This session was exclusively devoted to deal with matters relating to the organisation of the Conference, including the election of officers and adoption of the rules of procedure of the Conference. The substantive session of the Conference will be held at Caracas (Venezuela) from June 20 to August 29, 1974. India's views on the outer limits of territorial sea and the establishment of exclusive economic zone will be put forward at that session.

(b) Does not arise.

H.M.T. Report on Lamp smoking machinery and Lamp Plants

5615. SHRI JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of HEAVY INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received the Report of H.M.T. in regard to their proposal to set up lamp smoking machinery and Lamp Plants;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the decision taken by Government in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Yes, Sir. The Project envisages investment of Rs. 916.00 lakhs and manufacture of 8 Lamp Making Machines and 20 million numbers of GLS Lamps of various wastages per annum besides glass and metal components for the latter. Investment decision is likely to be taken shortly.

Books written by Ex-Generals, Ex-Soldiers, Ex-Diplomats Re: Defence Matters

5616. SHRI JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of books written by ex-Generals, Ex-soldiers or ex-diplomats, high-lighting the defence matters during the last three years;

(b) whether all these books have been examined by Government from the point of view of any secret information being published in these books; and

(c) if so, whether any objectionable matter has been found in these books and if so, the nature thereof and the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). Since retired personnel of armed forces are not required to obtain permission for publishing any book, it is not possible to indicate precisely the number of books written by ex-generals or ex-soldiers on defence matters during the last three years. Some of the books which have, however, come to notice, are mentioned below:

1. Lt. Gen. B. M. Kaul.	Confrontation with Pakistan.
2. Maj. Gen. D.K.Palit, Vr. C. (Retd.).	The Lightening Campaign: The Indo-Pakistan War, 1971.
3. Maj. Gen. Hira Lal Atal.	Nehru's Emissary to Kashmir (Oct. 1947).

No objectionable matter in the above books has come to the notice of Government. No books of this nature have been published, during this period, by ex-diplomats.